संख्या-72/2020/4143/71-2-20-के0जी0एम0यू0-56/2016

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 27 नवम्बर, 2020

विषयः- के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी भवन (सी0टी0वी0) के ऊपर एक अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 8218/योजना अनु0/2019, दिनांक 08-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी भवन (सी0टी0वी0) के ऊपर एक अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 57.09322 लाख प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी भवन (सी0टी0वी0) के ऊपर एक अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-27/2018/810/71-02-2018-के0जी0एम0यू0-56/2016, दिनांक 22.02.2018 द्वारा रू0 1742.51 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 538.20 लाख अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। उक्त के क्रम में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल धनराशि रू0 1394.00 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं।

3- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु देय जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08.11.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचरोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी भवन (सी0टी0वी0) के ऊपर एक अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-27/2018/810/71-2-18-के0जी0एम0यू0-30/2013, दिनांक 22.02.2018 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 538.20 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद में कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि रू0 57.09322 लाख (रूपये सत्तावन लाख नौ हजार तीन सौ बाईस मात्र) की प्रतिपूर्ति अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 48.08212 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से 09.01110 लाख किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 तथा शासनादेश दिनांक 07-04-2020 एवं दिनांक 11-04-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आंकलन से संतुष्ट हो जाने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(3) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुये यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई भी रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात ही प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है।

(4) इस संबंध में अन्य सुसंगत प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 48.08212 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 09.01110 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1068/दस-2020 दिनांक 12-11-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-72/2020/4143/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in